न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रमेश देव** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—564 / 2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 88 आरटीए

1. काला सिंह वल्द बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मंगुसिंह वल्द बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. साधूसिंह वल्द बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— वादी

बनाम्

1. जंगीर कौर पत्नी बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगरानाा तहसील संगरिया जिला
2. चिड़ी कौर पुत्री बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थित :—

1. श्री सुनील कुमार टाण्डी — वादी
2. श्री प्रदीप कुमार — प्रतिवादी सं. 1 ता 2
3. राजपैरोकार

निर्णय दिनांक 20 / 12 / 2022

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 आपस में संयुक्त परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के माता है। प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 5 एनजीआर जमाबंदी संवत 2072—75 खाता सं. 40 / 37 में 0.949 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

यह है कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण की माता है तथा प्रतिवादी सं. 2 वादीगण की बहन है।

यह है कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा आपसी सहमति व रिश्तेदारों ने करवा दिया है। उक्त बंटवारनाम के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारनामा में प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहि है। कब्जा बाबत आपस में कोई विवाद नहीं है प्रतिवादी सं. 2 वादीगण की बहन है। प्रतिवादी सं. 2 का उक्त कृषि में जो भी विरास्तन हक व हिस्सा बनता उसका मौखितक रूप से हकत्याग अपने भाई वादीगण के पक्ष में बहिब कर दिया है।उक्त कृषि भूमि वादीगण को घरू बंटवारा अनुसार निम्नानुसार प्राप्त हुई है—

वादीगण सं. 1 काला सिंह 2 मंगुसिंह 3 साधूसिंह पि. बलिन्दा सिंह के बहिब हिस्सा में कृषि भूमि चक 5 एनजीआर खाता सं. 40 / 37 कुल रकबा 0.949 है. नहरी ।

यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि में जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है। उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवदी सं 2 के पिता व प्रतिवादी सं. 1 पति बलिन्दा सिंह से विरासतान में प्राप्त हुई है। जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में घरू बंटवारानाम कर लिया है। उक्त बंटवारनाम के अनुसार ही वादीगण वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है। परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकूक पर बुरा प्रभाव पड रहा तथा सदैव झगडा होने का अंदेशा बना रहता है। इसी कारण वादीगण उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में अपने नाम की घोषण करवाना चाहते है।

यह है कि वादीगण को उक्त कृषि भूमि अपने पिता बलिन्दा सिंह से विरास्तन में प्राप्त हुई थी जिसमें वादीगण का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारा हो चुका है व उसी के मुताबिक वादीगण काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम होने के कारण वादीगण को भारी परेशानियो का सामना करना पड रहा इसलिये वादीगण अपने नाम की घोषणा करवाने के हक मुस्त हक व दावेदार है।

यह है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उन्हे वाद पत्र की चरण सं. 4 में वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता तकसीम करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे परन्तु कल उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया, बस यही वाद कारण है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से जवाब दावा मय इकबाल दावा पेश किया और निवेदन कि वादी वाद डिक्री किया जाता है तो कोई उज्र एतराज नहीं है पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी 1 , 2 सुनी गई। वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 ता 2 वाद पत्र/जवाब दावा मय इकबाल दावा से स्पष्ट है तथा कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण वाद की दफा 4 अनुसार घोषणात्मक डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चक 5 एनजीआर के खाता सं. 40/37 में कुल रकबे 0.949 है. का वादीगण सं. 1 ता 3 को ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 जंगीर कौर का हिस्सा कम/नाम कलमजन किया जावे। रकम राज अलग से कायम हो। वाद पत्र पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2022 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 564 / 2022

1. काला सिंह वल्द बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. मंगुसिंह वल्द बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. साधूसिंह वल्द बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम्

1. जंगीर कौर पत्नी बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला
2. चिड़ी कौर पुत्री बलिन्दा सिंह जाति महजबी निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील कुमार टाण्डी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री प्रदीप कुमार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज भूमि चक 5 एनजीआर जमाबंदी संवत् 2072–75 खाता सं. 40 / 37 में 0.949 है0 का वादीगण सं. 1 कालासिंह 2 मंगुसिंह 3 साधूसिंह पि बलिन्दा सिंह को ब. हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्.....×.....निल.....×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 20 / 12 / 2022 को जारी किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया